रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 199] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 15, 2014/आषाढ़ 24, 1936
No. 199] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 15, 2014/ASHADHA 24, 1936

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2014

सं. 12–7/2010–एनटीसीए.—जबकि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 15–31/2012–एनटीसीए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38ण की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन व्याघ्र आरक्षितियों में बफर और कोर क्षेत्र में व्याघ्र संरक्षण के प्रयोजन के लिए अनुसरण किए जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धांतों को जारी करने के लिए और व्याघ्र आरक्षितियों में पर्यटन कार्यकलापों के मूल्यपरक मानक अधिकथित करने के लिए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में 8 नवंबर, 2012 को प्रकाशित की गई थी ;

और जबकि केन्द्रीय सरकार, कार्यकारी आयु समूहों में सर्वोत्तम प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए, कर्मचारीवृंद के कल्याण के लिए सुविधाओं का उपबंध करने के लिए प्रतिबद्ध है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 38ण की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना पैरा 16.16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् पैरा 16.16.1 और उसका टिप्पण अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"16.16.1 व्याघ्र आरक्षितियों के अग्रणी कर्मचारीवृंद के लिए प्रेरक कारक के रूप में राशन भत्ता नीचे दिए अनुसार प्रदान किया जाएगा :

(i) पात्रता : वनपाल, वनरक्षक और क्षेत्रीय स्तर पर उनसे निम्न (चौकीदार, वन मजदूर, माली, चौकीदार और महावत तथा अनुषंगी सेवाएं)।

(ii) दरः व्याघ्र परियोजना की चालू केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन प्रतिमास 860 रुपए की रकम जैसा कि विशेष व्याघ्र संरक्षण दल के कर्मचारीवृंद को अनुमोदित और अनुज्ञेय है।

टिप्पण : पात्र कर्मचारियों के विद्यमान प्रवर्गों के लिए पूर्वोक्त राशन भत्ता इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।"

डॉ. राजेश गोपाल, सदस्य सचिव

[सं. विज्ञापन– III/4/असा./191–एच/एन]

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4 में सं. 15–31/2012–एनटीसीए, तारीख 8 नवंबर, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

(National Tiger Conservation Authority)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2014

No. 12-7/2010/NTCA.—Whereas a notification No.15-31/2012-NTCA of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (National Tiger Conservation Authority) under clause (c) of sub-section (1) of section 38-O of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972) issuing guidelines to be followed for the purpose of tiger conservation in the buffer and core area of tiger reserves and laying down normative standards for tourism activities in tiger reserves was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4 on the 8th November, 2012;

And whereas the Central Government is committed to provide amenities for staff welfare to attract the best talent in the working age groups;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of section 38-O of the Wild Life (Protection) Act, 1972, the Central Government hereby makes the following amendments to the said notification, namely:—

In the said notification, after para 16.16 and entries relating thereto, the para 16.16.1 and Note thereto shall be inserted, namely:

"16.16.1 As a motivation factor to the frontline staff of tiger reserves, the ration allowance shall be provided as under:

(i) **Eligibility** : Forester, Forest Guards and below, working on regular pay rolls at field level (viz. Watchers, Van Mazdoors, Malis, Chowkidars and Mahawats and allied services).

(ii) **Rate** : An amount of 860 rupees per month under the ongoing Centrally Sponsored Scheme of Project Tiger as approved and admissible to the staff of Special Tiger Protection Force.

Note : The above ration allowance for the existing categories of eligible employees shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette".

Dr. RAJESH GOPAL, Member Secy.

[No. ADVT. III/4/Exty./191-H/N]

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* No. 15-31/2012-NTCA, dated the 8th November, 2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.